क्रम-संख्या—50 (ख-1)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 3 मार्च, 1999

फाल्गुन 12, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या : 516/सत्रह-वि० 1-1 (क)-5/1999

लखनऊ : 3 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 3 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1999]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 9 नवम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में, उपधारा (1) में, खण्ड (तीन) और (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(तीन) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन देय अतिरिक्त कर प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(चार) (क) धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर [उस मामले से भिन्न जिस पर उपखण्ड (ख) लागू होता है] चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर की एक-तिहाई दर से प्रत्येक कलेण्डर माह के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(ख) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायगा।"

धारा 12 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "पूर्ण कलेण्डर मास" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(8) जहां किसी मोटर यान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटर यान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो, और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं, तो यह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

4—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, भाग "घ" में, सारणी में,-

(क) अनुच्छेद एक में,-

(एक) खण्ड (4) में, स्तम्भ-3 में, उपखण्ड (ख) के सम्मुख दिये गये अंक "250.00" के स्थान पर अंक "201.00" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (5) में, उपखण्ड (ख) में, स्तम्भ-3 में, क्रमशः मद संख्या (एक) और मद संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "250.00" और "25.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "201.00" और "8.00" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (6) में, उपखण्ड (ख) में, स्तम्भ-3 में, क्रमशः मद संख्या (एक) और मद संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "450.00" और "30.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "265.00 और 11.50" रख दिये जायेंगे ;

(चार) खण्ड (7) में, स्तम्भ-3 में, उपखण्ड (ख) के सामने दिये गये शब्द और अंक "900.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए 35.00 रुपया" के स्थान पर शब्द और अंक "438.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए 17.00 रुपया" रख दिये जायेंगे।

(ख) अनुच्छेद (दो) और (तीन) में शब्द "रजिस्ट्रीकृत लदान भार" के स्थान पर शब्द "सकल यान भार" रख दिये जायेंगे।

तृतीय अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में,—

(क) अनुच्छेद एक और दो में शब्द "रजिस्ट्रीकृत लदान भार" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "सकल यान भार" रख दिये जायेंगे,

(ख) स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि कृषि उपज, खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले माल वाहनों के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर की दर अनुच्छेद एक और दो के सामने विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।"

(ग) स्पष्टीकरण (2) में शब्द "उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल" के स्थान पर शब्द "उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, टेहरी गढ़वाल" रख दिये जायेंगे।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

6—मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में, —

(1) अनुच्छेद एक में, —

(क) खण्ड (क) में, —

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "155.00" और "173.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "140.00" और "156.00" रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "196.00" और "219.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "176.00" और "197.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "248.00" और "276.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "223.00" और "248.00" रख दिये जायेंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "310.00" और "346.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "279.00" और "311.00" रख दिये जायेंगे;

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "402.00" और "449.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "362.00" और "404.00" रख दिये जायेंगे;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "495.00" और "553.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "446.00" और "498.00" रख दिये जायेंगे;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "619.00" और "691.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "557.00" और "622.00" रख दिये जायेंगे;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "619.00 और प्रत्येक 4,500 किमी० या उसके भाग के लिये रुपया 155.00" और "691.00 और प्रत्येक 4,500 किमी० या उसके भाग के लिए रु० 173.00" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "557.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये रुपया 140.00" और "622.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये रुपया 156.00" रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (ख) में, —

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।"

(2) अनुच्छेदों में, —

(क) खण्ड (क) में, —

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "155.00" के स्थान पर अंक "140.00" रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "197.00" के स्थान पर अंक "177.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "248.00" के स्थान पर अंक "223.00" रख दिये जायेंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "311.00" के स्थान पर अंक "280.00" रख दिये जायेंगे ;

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "404.00" के स्थान पर अंक "364.00" रख दिये जायेंगे ;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "497.00" के स्थान पर अंक "447.00" रख दिये जायेंगे ;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये अंक "621.00" के स्थान पर अंक "559.00" रख दिये जायेंगे ;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ-3 में दिये गये शब्द और अंक "621.00 और प्रत्येक 4,500 कि०मी० या उसके भाग के लिये 155.00 रुपया" के स्थान पर शब्द और अंक "559.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 140.00 रुपया" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, —

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।"

(3) अनुच्छेद तीन में, —

(क) खण्ड (क) में, —

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "174.00" और "194.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "157.00" और "175.00" रख दिये जायेंगे ;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "221.00" और "246.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "199.00" और "221.00" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "279.00" और "311.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "251.00" और "280.00" रख दिये जायेंगे ;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "348.00" और "389.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "313.00" और "350.00" रख दिये जायेंगे ;

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "453.00" और "505.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "408.00" और "455.00" रख दिये जायेंगे ;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "557.00" और "622.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "501.00" और "560.00" रख दिये जायेंगे ;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "697.00" और "778.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "627.00" और "700.00" रख दिये जायेंगे ;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "697.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 174.00 रुपया" और "778.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 194.00 रुपया" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "627.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 157.00 रुपया" और "700.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 175.00 रुपया" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, —

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।"

(4) अनुच्छेद चार में, —

(क) खण्ड (क) में, —

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "116.00" और "130.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "104.00" और "117.00" रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "147.00" और "164.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "132.00" और "148.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "186.00" और "207.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "167.00" और "186.00" रख दिये जायेंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "232.00" और "259.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "209.00" और "233.00" रख दिये जायेंगे;

(पांच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "302.00" और "337.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "272.00" और "303.00" रख दिये जायेंगे;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "372.00" और "415.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "335.00" और "374.00" रख दिये जायेंगे;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "464.00" और "518.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "418.00" और "466.00" रख दिये जायेंगे;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ-3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "464.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिए 116.00 रुपया" और "518.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 130.00 रु०" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "418.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 104.00 रुपया" और "466.00 और प्रत्येक 4,500 किलोमीटर या उसके भाग के लिये 117.00 रुपया" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, —

अन्त में दिये गये विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् : —

"परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिए उतने दिनों की गणना नहीं की जायेगी जितने दिनों तक अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर संचालित की गयी हों।"

(5) अनुच्छेद पांच में, खण्ड (क) में उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात् :—

(एक) ड्राइवर को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली मोटर टैक्सी	225.00
(एक-क) ड्राइवर को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 6 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली तिपहिया मोटर टैक्सी	450.00
(एक-ख) उपखण्ड (एक) और (एक-क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटर टैक्सी	675.00
(दो) बड़ी टैक्सी	4500.00

(6) स्पष्टीकरण में,–

(एक) खण्ड (9), में उपखण्ड (क) में शब्द "उत्तरकाशी और टेहरी गढ़वाल" के स्थान पर शब्द "उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर और टेहरी गढ़वाल" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (10) में शब्द "महोबा और बांदा" के स्थान पर शब्द "महोबा, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर और बांदा" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (11) में शब्द "गाजियाबाद और बुलन्दशहर" के स्थान पर शब्द "गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर और बुलन्दशहर" रख दिये जायेंगे ;

भुगतान किये गये कर या अतिरिक्त कर की अधिक धनराशि का समायोजन

7—किसी यान के सम्बन्ध में, मूल अधिनियम के अधीन भुगतान किए गये कर या अतिरिक्त कर की धनराशि जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर देय कर या अतिरिक्त कर से अधिक होगी, वह यथास्थिति, अगली तिमाही या माह के लिए उस यान के सम्बन्ध में देय कर या अतिरिक्त कर के प्रति समायोज्य होगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1999

8—(1) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 516/(2)/XVII-V-1—1 (KA)-5/1999
Dated : Lucknow, March 3, 1999

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor yan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 1999 :—

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. Act no. 5 of 1999)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 9, 1998.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 21 of 1997

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (i) *for* clauses (iii) and (iv) the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(iii) the additional tax payable under clause *(a)* of sub-section (1) of section 5 shall be payable in advance on or before the fifteenth day of January, April, July and October in each year ;

(iv) *(a)* the additional tax under section 6 [other than a case to which sub-clause *(b)* applies] shall be payable in advance on or before fifteenth day of each calendar month at the rate of one-third of the rate specified in the Fourth Schedule ;

(b) the additional tax payable under section 6 in respect of vehicles covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions, such as to and from fairs and religious gatherings or to carry marriage parties; tourist parties or such other reserved parties shall be paid at the time of issuance of such temporary permit ."

Amendment of section 12

3. In section 12 of the principal Act.—

(a) in sub-section (1) *for* the words "complete calendar month", the words "thirty days" shall be *substituted;*

(b) after sub-section (7) the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(8) Where the operator, or as the case may be, the owner of a motor vehicle is unable to use his motor vehicle due to an accident of the said vehicle and the certificate of registration, the token, if any, issued in respect of the said vehicle and the permit, if any are surrendered to the Taxation Officer within a week from the date of such accident together with a copy of the first information report, such surrender shall be deemed to have been made on the date of the accident.

Amendment of First Schedule

4. In the First Schedule to the principal Act, in Part "D" in the table.—

(a) in Article I, —

(i) in clause (4), in column 3, *for* figures "250.00" appearing against sub-clause *(b)* the figures "201.00" shall be *substituted;*

(ii) in clause (5), in sub-clause *(b)* in column 3, *for* the figures "250.00" and "25.00" appearing against item (i) and item (ii) respectively the figures "201.00" and "8.00" shall respectively be *substituted;*

(iii) in clause (6), in sub-section *(b)*, in column 3, *for* the figures "450.00" and "30.00" appearing against item (i) and item (ii) respectively the figures "265.00" and "11.50" shall respectively be *substituted;*

(iv) in clause (7), in column (3) *for* the words and figures "Rs. 900.00 + Rs. 35.00" appearing against sub-clause *(b)* the words and figures "Rs. 438.00 + Rs. 17.00" shall be *substituted;*

(b) in Articles II and III *for* the words "registered laden weight" the words "Gross vehicle weight" shall be *substituted.*

Amendment of the Third Schedule

5. In the Third Schedule to the principal Act,—

(a) in Article I and II *for* the words "registered laden weight" wherever occurring the words "gross vehicle weight" shall be *substituted;*

(b) before Explanations, the following proviso shall be *inserted, namely* :—

"Provided that the rate of additional tax in respect of the goods carriages carrying exclusively agricultural produce, minerals and petroleum goods shall be half of the rates specified against Articles I and II."

(*c*) in Explanation (2) *for* the words "Uttar Kashi" and "Tehri Garhwal" the words "U[ttar]
Kashi, Rudra-Prayag, Champawat, Bageshwar and Tehri Garhwal" shall be *substituted.*

Amendment of the Fourth Schedule

6. In the Fourth Schedule to the principal Act—

(1) in Article-I.—

(*a*) in clause (*a*)—

(i) *for* figures "155.00" and "173.00" appearing in columns 3 and 4 respectively aga[inst]
serial number 1, the figures "140.00" and "156.00" shall respectively be *substituted;*

(ii) *for* figures "196.00" and "219.00" appearing in column 3 and 4 respectively aga[inst]
serial number 2, the figures "176.00" and "197.00" shall respectively be *substituted;*

(iii) *for* figures "248.00" and "276.00" appearing in columns 3 and 4 respectively aga[inst]
serial number 3, the figures "223.00" and "248.00" shall respectively be *substituted;*

(iv) *for* figures "310.00" and "346.00" appearing in columns 3 and 4 respectively aga[inst]
serial number 4, the figures "279.00" and "311.00" shall respectively be *substituted;*

(v) *for* figures "402.00" and "449.00" appearing in columns 3 and 4 respectively ag[ainst]
serial number 5, the figures "362.00" and "404.00" shall respectively be *substituted;*

(vi) *for* figures "495.00" and "553.00" appearing in columns 3 and 4 respectively aga[inst]
serial number 6, the figures "446.00" and "498.00" shall respectively be *substituted;*

(vii) *for* figures "619.00" and "691.00" appearing in columns 3 and 4 respectively aga[inst]
serial number 7, the figures "557.00" and "622.00" shall respectively be *substituted;*

(viii) *for* words and figures "619.00 plus 155.00" and "691.00 plus 173.00" appearin[g in]
columns 3 and 4 respectively against serial number 8, the words and figures "557.00 plus 140[.00"]
and "622.00 plus 156.00" shall respectively be *substituted;*

(*b*) in clause (*b*).—

after the existing proviso appearing at the end, the following proviso shall be *inse[rted]*
namely:—

"Provided further that for calculation of additional tax under clause (*b*) the number of da[ys]
stage carriage covered by the temporary permit is operated out of Uttar Pradesh shall not be ta[ken]
into account."

(2) in Article II,—

(*a*) in clause (*a*), —

(i) *for* figures "155.00" appearing in column 3 against serial number 1 the figure "140[.00"]
shall be *substituted;*

(ii) *for* figures "197.00" appearing in columns 3 against serial number 2 the fig[ure]
"177.00" shall be *substituted;*

(iii) *for* figure "248.00" appearing in column 3 against serial number 3 the figure "223[.00"]
shall be *substituted ;*

(iv) *for* figure "311.00" appearing in column 3 against serial number 4 the figure "280[.00"]
shall be *substituted ;*

(v) *for* figure "404.00" appearing in column 3 against serial number 5 the figure "364[.00"]
shall be *substituted ;*

(vi) *for* figure "497.00" appearing in column 3 against serial number 6 the figure "447[.00"]
shall be *substituted ;*

(vii) *for* figure "621.00" appearing in column 3 against serial number 7 the figure "55[9.00"]
shall be *substituted ;*

(viii) *for* words and figures "621.00 plus Rs. 155.00" appearing in column 3 against serial number 8 the words and figure "559.00 plus Rs. 140.00" shall be *substituted* ;

(*b*) in clause (*b*),

after the existing proviso appearing at the end, the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that for calculation of additional tax under clause (*b*) the number of days a stage carriage covered by the temporary permit is operated out of Uttar Pradesh shall not be taken into account."

(3) in Article III,—

(*a*) in clause (*a*),—

(i) *for* figures "174.00" and "194.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 1 the figures "157.00" and "175.00" shall respectively be *substituted* ;

(ii) *for* figures "221.00" and "246.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 2 the figures "199.00" and "221.00" shall respectively be *substituted* ;

(iii) *for* figures "279.00" and "311.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 3 the figures "251.00" and "280.00" shall respectively be *substituted* ;

(iv) *for* figures "348.00" and "389.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 4 the figures "313.00" and "350.00" shall respectively be *substituted* ;

(v) *for* figures "453.00" and "505.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 5 the figures "408.00" and "455.00" shall respectively be *substituted* ;

(vi) *for* figures "557.00" and "622.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 6 the figures "501.00" and "560.00" shall respectively be *substituted* ;

(vii) *for* figures "697.00" and "778.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 7 the figures "627.00" and "700.00" shall respectively be *substituted* ;

(viii) *for* words and figures "697.00 plus Rs. 174.00" and "778.00 plus Rs. 194.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 8 the words and figures "627.00 plus Rs. 157.00" and "700.00 plus Rs. 175.00" shall respectively be *substituted* ;

(*b*) in clause (*b*),

after the existing proviso appearing at the end the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that for calculation of additional tax under clause (*b*) the number of days a stage carriage covered by the temporary permit is operated out of Uttar Pradesh shall not be taken into account."

(4) in Article IV,—

(*a*) in clause (*a*),—

(i) *for* figures "116.00" and "130.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 1 the figures "104.00" and "117.00" shall respectively be *substituted* ;

(ii) *for* figures "147.00" and "164.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 2 the figures "132.00" and "148.00" shall respectively be *substituted* ;

(iii) *for* figures "186.00" and "207.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 3 the figures "167.00" and "186.00" shall respectively be *substituted* ;

(iv) *for* figures "232.00" and "259.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 4 the figures "209.00" and "233.00" shall respectively be *substituted ;*

(v) *for* figures "302.00" and "337.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 5 the figures "272.00" and "303.00" shall respectively be *substituted ;*

(vi) *for* figures "372.00" and "415.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 6 the figures "335.00" and "374.00" shall respectively be *substituted ;*

(vii) *for* figures "464.00" and "518.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 7 the figures "418.00" and "466.00" shall respectively be *substituted ;*

(viii) *for* words and figures "464.00 plus Rs. 116.00" and "518.00 plus Rs. 130.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 8 the words and figures "418.00 plus Rs. 104.00" and "466.00 plus Rs. 117.00" shall respectively be *substituted ;*

(b) in clause *(b)*,—

after the existing proviso appearing at the end the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that for calculation of additional tax under clause *(b)* the number of days a stage carriage covered by the temporary permit is operated out of Uttar Pradesh shall not be taken into account."

(5) in Article V, in clause (a) *for* sub-clauses (i) and (ii) the following sub-clauses shall be *substituted*, namely :—

"(i) Motor Cab with seating capacity for not more than three persons exclusive of the driver.	225.00
(i–a) Three Wheeler Motor Cab with seating capacity for more than three persons but not more than six persons exclusive of the driver.	450.00
(i–b) Motor Cab other than specified in sub-clauses (1) and (1–a).	675.00
(ii) Maxi Cab	4500.00"

(6) in the Explanations,—

(i) in clause (9) in sub-clause *(a) for* the words "Uttar Kashi and Tehri Garhwal" the words "Uttar Kashi, Rudra Prayag, Champawat, Bageshwar and Tehri Garhwal" shall be *substituted ;*

(ii) in clause (10) *for* the words, "Mahoba and Banda" the words "Mahoba, Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar and Banda" shall be *substituted ;*

(iii) in clause (11) *for* the words "Ghaziabad and Bulandshahr" the words "Ghaziabad, Baghpat, Gautam Budh Nagar, Saharanpur and Bulandshahr" shall be *substituted ;*

Adjustment of the excess amount of tax or additional tax paid

7. The amount of tax or additional tax paid under the principal Act, in respect of a vehicle in excess of the amount of tax or additional tax payable at the rate specified in the First Schedule or the Fourth Schedule to the principal Act as amended by this Act shall be adjustable towards the tax or additional tax that may be payable in respect of that vehicle for the quarter or month, as the case may be, next following.

Repeal and saving

8. (1) The Uttar pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 4 of 1999

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y.R. TRIPATHI
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 1074 राजपत्र (हिन्दी)—1999—(2359)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।